

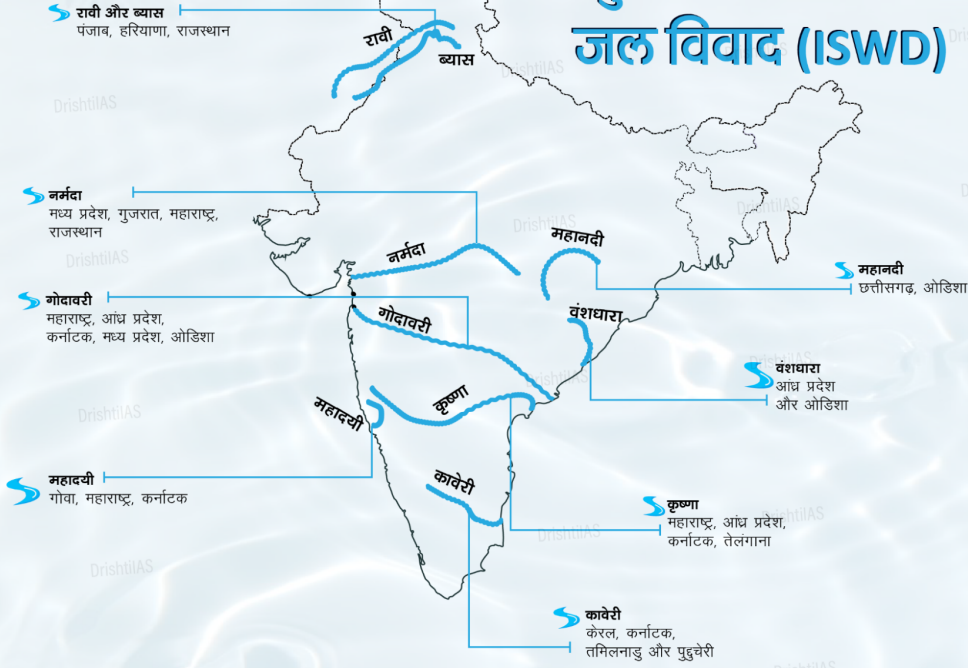
महादेई नदी जल वविाद

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में महादेई की सहायक नदियों से जल को कर्नाटक की मालप्रभा नदी की ओर मोड़ने की सफ़ारिश करने वाले एक अध्ययन ने गोवा में वसिध प्रदर्शन को जन्म दिया है। अध्ययन में यह दावा किया गया है कइस प्रस्तावति जल-परवितन से गोवा पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, इसने गोवा और कर्नाटक के बीच जल बँटवारे को लेकर दशकों पुराने अंतरराज्यीय जल-साझेदारी वविाद को फरि से उभार दिया है।

- महादेई जल वविाद न्यायाधकिरण (MWDT) ने कर्नाटक को **13.42 हजार मलियन घनफुट (tmcft)** जल आवंटति किया था।
- **परचिय:** इस नदी का उदगम बट्टि **पश्चिमी घाट (भीमगढ वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक)** है, तथा यह **गोवा (78% जलग्रहण क्षेत्र), कर्नाटक (18%) और महाराष्ट्र (4%)** से होकर प्रवाहति होती है और अंततः **अरब सागर** में गरिती है।
 - **सहायक नदियाँ:** कलसा, बंडूरी, मापसा, रगडा, नानुज, वालवोटी, नेरुल, सेंट इनीज़ क्रीक, दूधसागर, कोट्राची नदी, और रयिो डी ओरेम।
 - यह **जुआरी नदी** से **कम्बरजुआ नहर** के माध्यम से जुड़ी हुई है।
 - **वशिषताएँ:** यह **दूधसागर जलप्रपात (मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर अभयारण्य)** तथा चोराओ द्वीप पर स्थति **सलीम अली पक्षी अभयारण्य** के लयि प्रसदिध है।
- **मलप्रभा नदी:** यह **कृष्णा नदी** की एक सहायक नदी है और इसका उदगम कर्नाटक के बेलगाम में **पश्चिमी घाट** के **कनकुंबी गाँव** से होता है।
 - **ऐहोल, पट्टडकल,** और **बादामी,** जो सभी **युनेस्को** वशिष धरोहर स्थल हैं, इसकी तटरेखा के कनारे स्थति हैं।

प्रमुख अंतर-राज्यीय जल विवाद (ISWD)



संवैधानिक और विधिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय जल विवादों के अधिनियम का प्रावधान करता है। इसके तहत, संसद ने दो कानून बनाए: नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: अंतर-राज्यीय नदियों के नियमन हेतु नदी बोर्डों की स्थापना
- ISWD अधिनियम, 1956: केंद्र सरकार ने दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की [वर्ष 2002 में संशोधित जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु 1 वर्ष की समय सीमा और निर्णय हेतु 3 वर्ष की समय सीमा अनिवार्य (सरकारिया आयोग)]
- राज्य सूची (प्रविष्टि संख्या 17): जल से संबंधित
- संघ सूची (प्रविष्टि संख्या 56): संसद के पास अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित व विकसित करने का अधिकार है यदि यह सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाता है।



और पढ़ें: [महादेई नदी](#)